झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

(3)

संकल्प

विषय :– दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा सॉंतवे केन्द्रीय वेतन आयोग के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 द्वारा लागू किया गया है ।

2. पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 38/37/2016–P&PW(A) दिनांक 12.05.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु दो सूत्रों का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक सूत्र का प्रावधान राज्य में संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 द्वारा लागू है ।

3. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु भारत सरकार के पत्रांक 38/37/2016–P&W(A), दिनांक 12.05.2017 के प्रावधान को अंगीकृत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्न दो सूत्रो के आधार पर किया जाएगा :–

(क) प्रथम सूत्र :– संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे में प्राप्त वेतन को सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन समितियों की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक 01.01.2016 को भुगतेय पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा ।

[गणना की सुलभता हेतु पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 38/37/2016–P&W(A), दिनांक 06.07.2017, दिनांक 18.07.2017 एवं 13.09.2017 के माध्यम से समेकित गणना तालिका संसूचित है ।]

(ख) दूसरा सूत्र :– दिनांक 31.12.2015 को प्राप्तेय पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा ।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा ।

5. दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत कराये गये कर्मियों का पेंशन पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर नहीं किया जायेगा, ऐसे कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण फलस्वरूप बकाया का भुगतान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया जाएगा ।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु उपर्युक्त कण्डिका 4 में अंकित प्रावधान वैसे कर्मियों जो दिनांक 15.11.2000 (झारखण्ड गठन) के बाद एवं दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत हुए हैं, पर लागू होगा ।

8. महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय, राँची, झारखण्ड का दायित्व होगा कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O.) निर्गत करें । किसी कर्मी की सूचना अनुपलब्ध होने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा संबंधित कार्यालय/विभाग से सूचना माँग कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाय ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 29.01.2019 की बैठक मद संख्या 20 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 9/पें०(6)–02/2018........./वि० राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 9/पें०(6)–02/2018 35/वि० रॉंची, दिनांक 22/02/2019 (2)

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

Pen-1

L-4402

Mr Vinod

2/3

23 FEB 2019

(1)

पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन प्रपत्र

(01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनधारियों के प्रयोग हेतु)

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रेषक :-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
वीर चन्द पटेल पथ, पटना -800001.

विषय :- श्री/श्रीमती (सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवक का नाम) धारक पी0पी0ओ0 संख्या- के पेंशन/पाविरिक पेंशन पुनर्निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या- 755 दिनांक 20.10.2017 के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण कर संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. पी0पी0ओ0 संख्या :-
2. सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवकं का नाम :-
3. पदनाम :-
4. अंतिम पदस्थापन कार्यालय :-
5.

जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	से0नि0 तिथि	मृत्यु की तिथि

6. शुद्ध अर्हक सेवा :-
7. पारिवारिक पेंशनर का नाम :-
8. सेवानिवृति के समय
   - (i) अंतिम वेतन :-
   - (ii) वेतनमान्/पे बैंड/ग्रेड पे :-
   - (iii) अंतिम मूल पेंशन :-
   - (iv) अंतिम मूल पारिवारिक पेंशन का
     - (क) वर्द्धित दर
     - (ख) सामान्य दर :-
09. 01.01.2016 को वैचारिक वेतन
   - (i) अंतिम वैचारिक वेतन :-
   - (ii) वेतनमान का लेवल :-
10. कोषागार का नाम :-
11. वर्तमान पता :-
12. आधार संख्या :-
13 मोबाईल संख्या :-
14 बैंक विवरणी
   - (i) बैंक का नाम :-
   - (ii) बैक खाता संख्या :-
   - (iii)आई.एफ.एस.सी.कोड :-

अनु0-(i) अंतिम वेतन व वेतनमान संबंधी उपलब्ध साक्ष्य।
(ii)पी0पी0ओ0 बुक की छायाप्रति।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का हस्ताक्षर **नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदा0 का हस्ताक्षर**

टिप्पणीः- (1) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन पी0पी0ओ0 बुक का पेंशनर प्रति का छायाप्रति एवं वेतन-पूर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे महालेखाकार(ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय को देगें ।

(2) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन उपरोक्त वांछित सूचनाओं के साथ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय को भेजवाएँ।